# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## अपील संख्या : 16/551

जगदीश प्रसाद आत्मज श्री बिरधीलाल जाति माली निवासी ग्राम अरण्डखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

**बनाम**

1. मोहन लाल पुत्र श्री धूल्या जी माली निवासी अरण्डखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. कंचन बाई पुत्री धूल्या पत्नी श्री रंगलाल जी माली निवीस दुगारी तहसील अन्ता जिला बारां ।
3. मोडी बाई पुत्री श्री धूल्या पत्नी श्री ग्यारसीलाल जी माली निवासी देईत तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
4. भैरूलाल पुत्री रामनाथ जाति माली निवासी अरण्डखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. प्रेमचन्द पुत्र श्री रामनाथ जाति माली निवासी अरण्डखेडा (मृतक) जरिये कायममुकामान–
   5/1. श्याम बिहारी पुत्र श्री प्रेमचन्द जाति माली निवासी अरण्डखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   5/2. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री प्रेमचन्द जाति माली निवासी अरण्डखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   5/3. सुशीला बाई पुत्री श्री प्रेमचन्द जाति माली निवासी अरण्डखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   5/4. कल्याणी बाई बेवा श्री प्रेमचन्द जाति माली निवासी अरण्डखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. हेमराज पुत्री श्री रामनाथ जाति माली निवासी अरण्डखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
7. केसर बाई पत्नी श्री हीरालाल जी माली निवासी चारणहेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
8. मूर्ति बाई पत्नी श्री घनश्या मजी माली निवीस मण्डानिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा
9. ज्यानी बाई पत्नी श्री छोटूलाल माली निवासी अरण्डखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
10. भूली बेवा रामनाथ माली निवासी अरण्डखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (नाम तर्क)
11. स्रकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

## निर्णय

दिनांकः 17.07.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायलाय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 53 के अन्तर्गत ग्राम अरण्डखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी कुल 2.22 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादपत्र की मद नं0 01 में वर्णित आराजी का प्रतिवादी कम 1 से 3 के आधे हिस्से में विभाजन किया जाकर वादी के कब्जे काश्त की 0.17 हैक्टर आराजी जिसका खसरा नम्बर 1113 था जिसे विभाजन की डिक्री में वादी को दिया जावे, का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर वादी की तन्हा खातेदारी में आराजी दर्ज की जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26.07.2012 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की ।

4. तत्पश्चात् प्रकरण को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 28.06.2016 के द्वारा विभाजन की अंतिम डिक्री जारी कर दी ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28.06.2016 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त प्रकरण को प्रशासन गॉव के संग कैम्प अरण्डखेडा में रखते हुए निर्णित किया है जिसमें अपीलान्ट के सिर्फ उपस्थिति के हस्ताक्षर करवाकर निर्णय किया है । अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बर 1113 की भूमि रेस्पोडेन्ट कम 1 से 3 से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र से कय करने के बावजूद बंटवारा रिपोर्ट में उनका हिस्सा तय नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में सभी पक्षकारों को सूचित किये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की है । राजस्व मण्डल के विभाजन नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री जारी करते समय राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है । बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार के द्वारा तैयार नहीं किये गये हैं । लोक अदालत में अपीलान्ट की उपस्थिति के हस्ताक्षर करवाये गये हैं । अपीलान्ट ने खसरा नम्बर 1113 जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 3 से कय की है इसके बावजूद बंटवारे में अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं किया गया है । रेस्पोडेन्टगण को खसरा नम्बर 1113 की आराजी वादी अपीलान्ट के नाम दर्ज करने में आपत्ति नहीं थी फिर भी इसको अपीलान्ट के खाते में दर्ज नहीं किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

8. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त करने के उपरान्त दिनांक 28.06.2016 को लोक अदालत में अंतिम डिक्री जारी की गई है । लोक अदालत में वादी जगदीश और प्रतिवादीगण में से प्रतिवादी संख्या 4 की उपस्थिति के हस्ताक्षर करवाये गये हैं। बंटवारा प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये हैं जबकि राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाकर बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने चाहिए । विभाजन प्रस्ताव के साथ सहखातेदारों की आराजी को दर्शाते हुए नक्शा भी तैयार नहीं किया गया है और प्रारम्भिक डिक्री में वादी जगदीश के हिस्से के बाबत् पक्षकारों की सहमति के बावजूद उनके हिस्से का उल्लेख अंतिम डिक्री में नहीं किया गया है । इस प्रकार अंतिम डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत जारी की गई है जो खारिज होने योग्य है ।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28.06.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रारम्भिक डिक्री की अनुपालना में राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तहसील से पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर, विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 28.08.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

10. निर्णय आज दिनांक 17.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/7/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा